उत्तर प्रदेश सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(वैयक्तिक सहायक कक्ष)

संख्याः 266 / सू0एवंज0सं0वि0(वै0स0क0)–2024

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

सूचना विभाग में तैनात अपर निदेशक, श्री अंशुमान राम त्रिपाठी को एतद्द्वारा निम्नानुसार कार्य एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है :–

क.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री अंशुमान राम त्रिपाठी अपर निदेशक	**कार्यः–** **विभाग के समस्त कार्य**
		वित्तीय अधिकारः– 1. अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का पूर्ण अधिकार। 2. वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने का पूर्ण अधिकार। 3. राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधियों के उपयोगार्थ एस0जी0पी0जी0आई0 एवं रियायती रेल–वे कूपन निर्गत करने का पूर्ण अधिकार। 4. कार्यालय की गाड़ियों/मोटर वाहनों के डीजल/पेट्रोल व मोबिल आयल के रु0 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) की सीमा तक या एक माह के खपत के मूल्य तक, जो कम हो, के क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करना। 5. वाहनों हेतु डीजल/पेट्रोल क्रय एवं अनुरक्षण, टेलीफोन एवं बिजली बिलों के भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 6. व्यवस्था एवं सामान्य स्टोर संबंधी कार्यो हेतु रु0 50,000/– (रूपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान पारण करने का पूर्ण अधिकार। 7. मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान के कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों रु0 2,00,000/–(रूपये दो लाख) की सीमा तक भुगतान स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 8. जी0पी0एफ0:– अराजपत्रित कार्मिकों को स्थायी/अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। (क) जी0पी0एफ0 :– राजपत्रित कार्मिकों को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 9. अवकाशः– मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार के अराजपत्रित कार्मिकों को अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार। 10. मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार प्रभाग के अराजपत्रित कार्मिकों के टी0ए0 बिलों की स्वीकृति/भुगतान का पूर्ण अधिकार। 11. राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ एवं नई दिल्ली से संबंधित कार्यों हेतु रू0–50,000/–(रूपये पचास हजार) की सीमा तक की स्वीकृति एवं भुगतान करने का पूर्ण अधिकार।

		12. प्रकाशन संबंधी कार्यों की रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख) की सीमा तक स्वीकृति/भुगतान करने का पूर्ण अधिकार। 13. रू0 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख) की सीमा तक विज्ञापन बीजकों (सजावटी एवं वर्गीकृत) को पारित करने का पूर्ण अधिकार।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। विभाग के समस्त संबंधित अधिकारी अपने आवंटित कार्यों की पत्रावलियां उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(शिशिर)
निदेशक, सूचना।

संख्याः 266/सू0एवं ज0सं0वि0(वै0स0क0)–2024 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर निदेशक।
2– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
3– समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं समकक्ष स्तर के अधिकारीगण।
4–. प्रभारी, कम्प्यूटर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
6– समस्त प्रभागों के प्रशासनिक अधिकारी।
7– गार्ड पत्रावली हेतु।

(शिशिर)
निदेशक, सूचना।